3023

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-2/2016

Dated Shimla-171002, the

Order

Sub :- Diversion of 0.0162 ha of forest land for the construction of Gram Panchayat Ghar at Punthal, Kullu in favour of District Panchayat Office, Kullu within the jurisdiction of Parbati Forest Division, District Kullu, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **08 B/HPB/08/57/57/2015/488** दिनांक 13-06-2016 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.0162** हैक्टेयर वन भूमि को **Distt. Panchayat Office Kullu** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार R/5 Suma Challon में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 0.40 है० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

3 एन.पी.वी. की दरों में अगर कोई बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

7 परियोजना निर्माण में उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

8 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जायेगी।

9 निर्माण कार्य के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में परियोजना क्षेत्र में खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

10 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

11 प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान /पातन नहीं किया जाएगा।

12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

S/FCA

25/6
CCF(FCA)

PCCF
24/6/16

Contd./2

P.T.O

2/-

13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2016 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 23-06-2016

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, Pearson Road, New Forest, Dehradun.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Addl. CCF(FCA)-cum-Nodal Officer O/o HPFDHQ Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Kullu, Distt., Kullu, Himachal Pradesh .
6. DFO Parbati Forest Division, Distt., Kullu, H.P.
7. District Panchayat Officer Distt. Kullu HP.
8. Guard File.

23-6-2016
(Sat Pal Dhiman)
Deputy Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

1484
27/6/16

Endst. No. Ft. 48-3023/2015(FCA) Dated the, Shimla-1 28 JUN 2016

Copy is forwarded to the following for information and further necessary action.

1. CCF (IT) O/o Pr. CCF, H.P. Shimla-1. (He is requested to upload the formal order as issued by Principal Secretary (Forests) to GoHP on the Web Site of Forest Department at the earliest please)
2. CF Kullu.
3. DFO Parbati

28/6
Nodal Officer-cum-CCF (FCA)
O/o Pr. CCF, H.P. Shimla-1.

Pl. upload on the website.
30/6
D.E.O.